जयपुर में गैस रसिाव को लेकर NGT ने नोटसि जारी कयिा

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नयिंत्रण बोर्ड और जयपुर के ज़िला मजसि्ट्रेट को **जयपुर में संदग्धि गैस रसिाव** के बाद कई छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में उत्तर देने का नर्दिेश दयिा है।

मुख्य बदिु

- **घटना:**
  - NGT ने जयपुर में संदग्धि गैस रसिाव की घटना पर स्वतः संज्ञान लयिा।
    - 15 दसिंबर, 2024 को महेश नगर इलाके में घटी इस घटना में **एक कोचगि संस्थान के 10 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जब वे पास के नाले से रसिाव के कारण बेहोश हो गए थे।**
- **न्यायाधकिरण की टप्पिणयिाँ:**
  - न्यायाधकिरण ने कहा कि रिपोर्ट में **पीड़तिों के लयि कसिी मुआवज़े का उल्लेख नहीं कयिा गया था।**
  - पीठ ने सार्वजनकि दायत्वि बीमा अधनियिम 1991 और पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम 1986 के अनुपालन से संबंधति महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।
  - **प्रतवािदयिों को नोटसि जारी कर** उन्हें अपना उत्तर या प्रत्युत्तर दाखलि करने का नर्दिेश दयिा गया।
  - न्यायाधकिरण ने **नम्निलखिति पक्षों को प्रतवािदी के रूप में शामलि कयिा**:
  - केंद्रीय प्रदूषण नयिंत्रण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नयिंत्रण बोर्ड के **सदस्य सचवि**
  - जयपुर के ज़िला मजसि्ट्रेट
    - केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविर्तन मंत्रालय का **क्षेत्रीय कार्यालय**
    - जलवायु परविर्तन

केंद्रीय प्रदूषण नयिंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक वैधानकि संगठन है, जसिका गठन **वर्ष 1974** में **जल (प्रदूषण नविारण एवं नयिंत्रण) अधनियिम, 1974 के तहत कयिा गया था।**
- **CPCB को वायु (प्रदूषण नविारण एवं नयिंत्रण) अधनियिम, 1981** के अंतर्गत शक्तयिाँ एवं कार्य भी नर्दिष्टि कयि गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परविर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ngt-issues-notice-over-gas-leak-in-jaipur